पटना में दिनांक—15 जुलाई, 2014 मंगलवार को अपराह्न 07:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
1.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत डगरूआ अंचल के मौजा— महमदिया, थाना सं०—258, खाता सं०—219, खेसरा सं०—156, रकबा—0.50 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म पुरानी परती भूमि का 2,25,000 (दो लाख पचीस हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% का 25 गुणा अर्थात् 2,81,250 (दो लाख एकासी हजार दो सौ पचास) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 5,06,250 (पाँच लाख छः हजार दो सौ पचास) रूपयों के भुगतान पर राज्य योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण।	1.	स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग		
2.	सरकारी विभागों / विभागाध्यक्षों / संलग्न कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला समाहर्त्ताओं / अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा वर्ग— ख एवं वर्ग—ग की तकनीकी सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के गठन से संबंधित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2014 की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।
	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग		
3.	बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग / बोर्ड / निगम / पर्षद / समितियों आदि के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव, जिन्हें मंत्री / राज्यमंत्री / उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं में संशोधन के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग		
4.	मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग		
5.	कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का गठन।	5.	स्वीकृत।
	कृषि विभाग		
6.	बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2014 (The Bihar Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2014) (संलग्न अनुसूची—2) की स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

7. बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014 के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

8. पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता (असैनिक)वेतनमान पी०बी०–4(37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 8700/–के पद से मुख्य अभियंता (असैनिक) वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 8900/– के पद पर प्रोन्नति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

9. श्री कृष्णकांत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध टेडागाछ, पिलहनियाँ पंचायत उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य के भुगतान हेतु 20,000/– (बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या–022/2012 दिनांक–15.02.12 दर्ज किया गया। इसके आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए **'सेवा से बर्खास्तगी'** के दंड की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

10. राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून में अध्ययनरत बिहार राज्य के कैडेट्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर (₹ 12000/–) को पुनरीक्षित करते हुए ₹ 30,000/–(तीस हजार रूपये मात्र) प्रति छात्र प्रति वर्ष किये जाने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

11. राज्य योजना मद के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार अन्तर्गत नवसृजित कार्यालयों के लिए नये वाहन के क्रय हेतु कुल रू० 67.42 लाख (सड़सठ लाख बेयालिस हजार रूपये मात्र) की योजना की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

12. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के फ्लोराईड प्रभावित 11 जिलों के 200 बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 200 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षो के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 9185.00 लाख (एकानबे करोड़ पचासी लाख रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधिमानता को मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में समाहित करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

वित्त विभाग

14. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–349 में राज्य सरकार द्वारा गठित Special Purpose Vehicles, Non Profitable Organisations, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी आदि के लिए कोषागार में व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) खोलने का नया प्रावधान जोड़ने तथा नियम–344 में पी०डी० खाता में जमा राशि के व्ययगत होने की समय सीमा के प्रावधान में संशोधन करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. किशनगंज न्याय मंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) तथा प्रभारी न्यायाधीश का कार्य करने हेतु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) का 01 (एक) पद सहित कुल 02 (दो) पदों के सृजन के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग, पटना के लिए निदेशक (प्रशासन), (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि) के एक पद का सृजन। — 16. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

17. शेखपुरा न्याय मंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) तथा प्रभारी न्यायाधीश का कार्य करने हेतु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) का 01 (एक) पद सहित कुल 02 (दो) पदों के सृजन के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली अंचल के मौजा–धूसरटीकापट्टी, थाना सं०–287/1, खाता सं०–1597, खेसरा सं०–3961, रकबा–0.60 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म सड़क भूमि 7,45,320 (सात लाख पैंतालीस हजार तीन सौ बीस) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% का 25 गुणा अर्थात् 9,31,650 (नौ लाख एकतीस हजार छः सौ पचास) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 16,76,970 (सोलह लाख छिहत्तर हजार नौ सौ सत्तर) रूपयों के भुगतान पर राज्य योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण। — 18. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. JnNURM योजनान्तर्गत राज्य के चार शहरों यथा पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार एवं भागलपुर के लिए 6640.75 लाख (छियासठ करोड़ चालीस लाख पचहत्तर हजार रू० मात्र) के लागत व्यय पर 207 नये बसों का क्रय एवं डीपो निर्माण (आकस्मिकता सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. प्रस्तावित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर में 100 एम०बी०बी०एस० छात्रों के नामांकन के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड के अनुरूप महाविद्यालय के लिए 309 (तीन सौ नौ) पद एवं अस्पताल के लिए 348 (तीन सौ अड़तालिस) पद अर्थात् कुल 657 (छः सौ सन्तावन) पदों के सृजन के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

21. प्रस्तावित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ में 100 एम०बी०बी०एस० छात्रों के नामांकन के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड के अनुरूप महाविद्यालय के लिए 309 (तीन सौ नौ) पद एवं अस्पताल के लिए 348 (तीन सौ अड़तालिस) पद अर्थात् कुल 657 (छः सौ सन्तावन) पदों के सृजन के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

22. प्रस्तावित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा (सारण) में 100 एम०बी०बी०एस० छात्रों के नामांकन के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड के अनुरूप महाविद्यालय के लिए 309 (तीन सौ नौ) पद एवं अस्पताल के लिए 348 (तीन सौ अड़तालिस) पद अर्थात् कुल 657 (छः सौ सन्तावन) पदों के सृजन के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

23. गया जिला के नीमचक बथानी अनुमंडल अन्तर्गत महकार थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 58 (अंठावन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

24. जहानाबाद जिला के मखदुमपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत बराबर पर्यटन थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 26 (छब्बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

25. जहानाबाद जिलान्तर्गत विशुनगंज बाजार में पुलिस ओ०पी० स्थापित किये जाने के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

26.	गया जिला के अतरी थानान्तर्गत ग्राम गेहलौर में ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 26 (छब्बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	26. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

27.	तदर्थ रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सबजज के पद पर कार्यरत् न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति।	27. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

28.	राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधिमानता को मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में समाहित करने के संबंध में।	28. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

29.	बिहार उद्योग सेवा संवर्ग के पदाधिकारी का संयुक्त उद्योग निदेशक (वेतनमान पी०बी०–4, 37400–67000, ग्रेड पे–8700) से अपर निदेशक (तकनीकी) (वेतनमान पी०बी०–4, 37400–67000, ग्रेड पे–8700) के पद पर तथा उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक (वेतनमान पी०बी०–3, 15600–39100, ग्रेड पे–7600) से संयुक्त उद्योग निदेशक (वेतनमान पी०बी०–4, 37400–67000, ग्रेड पे–8700) के पद पर प्रोन्नति देने तथा बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली, 1987 से अच्छादित सेवा शर्त्त वाले पदाधिकारी को बिहार उद्योग सेवा संवर्ग विभागीय परीक्षा नियमावली, 2011 के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्त करने का प्रस्ताव।	29. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

30.	JnNURM (UIDSSMT) योजना के अधीन छोटे एवं मध्यम शहरों की आधारभूत संरचना विकास हेतु मधेपुरा, छपरा, सोनपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, खगड़िया एवं मधुबनी जलापूर्ति योजना हेतु क्रमशः 3869.06 लाख रू०, 10174.74 लाख रू०, 2682.88 लाख रू०, 4748.76 लाख रू०, 4068.38 लाख रू०, 3430.08 लाख रू०, एवं 4348.38 लाख रू०, बांका, मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर एवं गोपालगंज सिवरेज योजना हेतु क्रमशः 5011.20 लाख रू०, 11041.41 लाख रू०, 6476.03 लाख रू०, 9228.22 लाख रू० एवं 11185.68 लाख रू० अर्थात कुल– 76264.82 लाख (सात सौ बासठ करोड़ चौंसठ लाख बेरासी हजार रू० मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।	30. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

32.	राज्य सूचना आयोग बिहार, पटना में स्वीकृत्यादेश संख्या–8942, दिनांक–30.08.2007 द्वारा सृजित राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों को एवं अन्य कार्यालय कर्मियों के पदों को समाप्त करने के संबंध में।	32.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

33.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 (संग्रहालय शाखा) के पदाधिकारी श्री अवध नारायण राय, सेवानिवृत्त (30.04. 2001 को सेवा निवृत्त) संग्रहालयाध्यक्ष चंद्रधारी, संग्रहालय दरभंगा को ₹ 10000–15200/–के वेतनमान में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में।	33.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

34.	राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/अंचल के पुनर्गठन के संबंध में 'मंत्रियों के समूह' को पुर्नगठित करने के संबंध में।	34.	स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

35.	योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2014–15 में 4.39 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय पर चार विशेषज्ञ प्रभाग के गठन के निमित्त कुल 105 पदों के सृजन की स्वीकृति।	35.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

36.	बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में रिक्त उप अभिलेख निदेशक के पद पर डॉ० बादशाह चौबे को दी गई प्रोन्नति एवं पदस्थापन की स्वीकृति के संबंध में।	36.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

37. माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं०–10516/2007 में दिये गये न्याय निर्णय एवं उससे उद्भूत एम०जे०सी० नं०–2197/2009 में दिनांक–15.05.2014 एवं दिनांक–24.06.2014 को पारित आदेश के अनुपलान में विभागीय पत्र संख्या–4725/रा० दिनांक–16.08.1972 की कंडिका 2 (छ) को विषयगत मामले में शिथिल करते हुए कैमूर जिलान्तर्गत नुऑव अंचल के मौजा–कन्हुआँ, थाना नं०–342, खाता संख्या–151, खेसरा संख्या–209, रकबा–0.83 एकड़ (तेरासी डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म धनहर भूमि सैनिक सुरेश कुमार सिंह, पिता–स्व० शिवपूजन सिंह, सा० कन्हुआँ के साथ मात्र कृषि प्रयोजन हेतु 20/–रूपये प्रति एकड़ वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर बन्दोबस्ती इस शर्त्त के साथ किया जाय कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर पुनर्विचार आवेदन 154/2014 में पारित आदेश अथवा इसके विरूद्ध वरीय न्यायालय में पारित होने वाले निर्णय से यह बन्दोवस्ती आदेश प्रभावी होगा।

37. स्वीकृत।